

2012 का विधेयक सं. 1

राजस्थान विनियोग (सं. 1) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया)

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 1) अधिनियम, 2012 है।

2. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 19,49,85,475/-रु. का प्राधिकृत किया जाना.-अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आये विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त संदत्त, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र 19,49,85,475/-रु. (उन्नीस करोड़ उनचास लाख पचासी हजार चार सौ पचहत्तर रुपये) की कतिपय और राशियों का विनियोजन 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित उक्त सेवाओं के लिए किया जाना एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची
(देखिए धारा 2)

(रुपयों में)

सेवाएं और प्रयोजन	अतिरिक्त विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है।				योग
	दत्तमत		प्रभृत्त		
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी	
1			2		
समेकित निधि					
अनुदानों के लिए माँगें					
माँग संख्या-13					
(आबकारी)					
2039-राज्य उत्पाद शुल्क	63,249	..	63,249
योग	63,249	..	63,249
माँग संख्या-17					
(कारागार)					
2056-जेल	18,70,758	18,70,758
योग	18,70,758	18,70,758

माँग संख्या-21

(सड़कें एवं पुल)

3054-सड़क तथा सेतु	12,64,603	..	12,64,603
योग	12,64,603	..	12,64,603

माँग संख्या-22

(क्षेत्र का विकास)

2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

2705-कमान क्षेत्र विकास	2,23,082	2,23,082
योग	2,23,082	2,23,082

माँग संख्या-27

(पेय जल योजना)

2215-जलपूर्ति तथा सफाई	8,71,87,538	8,71,87,538
योग	8,71,87,538	8,71,87,538

1	2			
माँग संख्या-33				
(सामाजिक सुरक्षा और कल्याण)				
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
2230-श्रम तथा रोजगार				
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
2236-पोषण	10,33,78,220 10,33,78,220
योग	10,33,78,220 10,33,78,220
माँग संख्या-38				
(लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण)				
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	<i>5,84,609</i>	.. 5,84,609
2702-लघु सिंचाई				
योग	<i>5,84,609</i>	.. 5,84,609
माँग संख्या-46				
(सिंचाई)				
2700-मुख्य सिंचाई				

2701-मध्यम सिंचाई					
2702-लघु सिंचाई	1,15,468	..	1,15,468
4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,97,948	2,97,948
योग	1,15,468	2,97,948	4,13,416
योग-समेकित निधि	19,26,59,598	..	20,27,929	2,97,948	19,49,85,475

उपर्युक्त विधेयक राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत उपरोक्त विधेयक धन विधेयक है।

दिनांक:

अध्यक्ष

दिनांक:

राज्यपाल,
राजस्थान राज्य।

राजस्थान विधान सभा

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया)

कृष्ण मुरारी गुप्ता,
उप सचिव।